**भारत सरकार**

**शहरी विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0** **2222**

**12 मई, 2016 को उत्तर के लिए**

fnYyh fodkl izkfèdj.k }kjk vkoaVu dh 'krks± dk mYya?ku fd;k tkuk

2222- Jh xqyke jlwy cfy;koh%

D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k fnYyh fodkl izkfèkdj.k us] tks jksfg.kh vkoklh; ;kstuk] 1981 gsrq vkosndksa dks iathd`r djus ds 25 o"kks± ckn Hkh Hkw[kaMksa dk vkoaVu djus esa foQy jgk Fkk] dbZ vkoafVfr;ksa dks Hkw[kaM vkoafVr djus ds ckn] fnYyh esa edku [kjhndj vkoaVu dh 'krks± dk mYya?ku fd, tkus ds vkèkkj ij vc Hkw[kaM dk dCtk ysus ds fy, v;ksX; djkj fn;k gS] ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS( vkSj

¼[k½ D;k fnYyh fodkl izkfèkdj.k vkosndksa dks vc Hkw[kaM u nsus lacaèkh vius vuqfpr fu.kZ; dh leh{kk djsxk D;ksafd bu vkosndksa us fnYyh fodkl izkfèkdj.k dh 1981 dh ;kstuk ds varxZr izkfèkdj.k }kjk mUgsa Hkw[kaM dk vkoaVu u dj ikus ds dkj.k dbZ o"kks± ckn ?kj [kjhnk Fkk vkSj bl rjg izkfèkdj.k us Lo;a vkoaVu dh 'krks± dk mYya?ku fd;k Fkk\

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): दिल्‍ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रोहिणी आवासीय स्‍कीम-1981 की शर्तों के अनुसार आवेदक यदि ''दिल्‍ली/नई दिल्‍ली अथवा दिल्‍ली छावनी में किसी व्‍यक्ति अथवा उसकी पत्‍नी/उसके पति अथवा उसके किसी अव्‍यस्‍क बच्‍चे का पट्टे पर अथवा पूर्ण-स्‍वामित्‍व के आधार पर पूर्णत: अथवा अंशत: भूमि का कोई आवासीय भू-खंड अथवा कोई आवास का स्‍वामित्‍व न हो अथवा उसको कोई आवासीय फ्लैट हायर परचेज आधार पर आबंटित नहीं किया गया है, तो वह भू-खंड के आबंटन के लिए पात्र होगा। तथापि, यदि आवेदक का आवासीय घर के अंतर्गत संयुक्‍त स्‍वामित्‍व में भूखंड अथवा भूमि में व्‍यक्तिगत हिस्‍सा 65 वर्ग मीटर से कम हो, तो भू-खंड के आबंटन के लिए उसके आवेदन पर विचार किया जा सकता है। उन व्‍यक्तियों जिनके स्‍वामित्‍व में दिल्‍ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित किया गया कोई आवास अथवा भू-खंड 65 वर्ग मीटर से कम का भी हो, तो वह आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा।'' दिल्‍ली विकास प्राधिकरण द्वारा (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के नियम 17 के अनुसार वर्ष 2014 में पात्रता मानदंडों को संशोधित किया गया है जिसमें यह व्‍यवस्‍था है कि नजूल भूमि के आबंटन की तारीख को ऐसे व्‍यक्ति के स्‍वामित्‍व में अथवा आबंटित भूमि 67 वर्ग मीटर से कम है अथवा ऐसे व्‍यक्ति के स्‍वामित्‍व में आवास जो 67 वर्ग मीटर से कम के भू-खंड पर है, अथवा 67 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्रफल की किसी ऐसी अन्‍य भूमि अथवा आवास में ऐसे व्‍यक्ति का भाग हो, उसको छोड़कर किसी व्‍यक्ति को आवासीय प्रयोजन के लिए कोई नजूल भूमि आबंटित नहीं की जाएगी।

\*\*\*\*\*\*\*